5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(28)

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. /2018

पुनर्विलोकन– 5736/2018/शिवपुरी/भू.रा.

1. श्रीमती इन्दर पत्नी चन्दन,
2. श्रामती रामदेवी पत्नी नंद किशोर,
3. चंदन पुत्र भगुंत सिंह,
4. रैना पुत्री धनीराम,
5. चंदन पुत्री वैजनाथ,
6. सुमित्रा पुत्री खुमान,
7. भगवती पुत्री अनंदी, समस्त निवासीगण– ग्राम पिपराटंगा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प.)

--आवेदकगण

अमित भार्गव अभि० 18-9-18 को ... 24-9-18 ...

रीडर ऑफ कोर्ट 18-9-18 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

A. Bhargava 18-9-18 अमित भार्गव (अधि०)

विरुद्ध

1. गरीबा पुत्र गुलाब चमार,
2. महिला रामकली पत्नी गरीबा चमार,
3. पीतम पुत्र मरअुवा चमार,
4. महिला ममताबाई पत्नी पीतम चमार,
5. महिला छोटी पुत्री मथरा पत्नी भंवरलाल चमार,
6. महिला सुनिया विधवा पत्नी गुलवा चमार,
7. कमला पुत्री अंजना चमार,
8. महिला गोरा पत्नी कमला चमार,
9. धरन पुत्र बडलिया चमार,
10. सुनील पुत्र बडलिया, दोनो अवयस्क संरक्षक मां सगुनिया पत्नी बडलिया चमार,
11. सगुनिया पत्नी बडलिया चमार, समस्त निवासीगण– ग्राम पिपराटंगा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--असल/अनावेदकगण

1. हरी पुत्र भगतसिंह,
2. सेवक पुत्र अनरत,
3. नत्थू पुत्र बुद्धा,
4. दयाल पुत्र परमा,
5. पहलू पुत्र चांदा,
6. कमला बाई पत्नी शीतल प्रसाद,
7. नथन सिंह पुत्र सूरत सिंह,
8. हरदेवा पुत्र दौला,
9. किशनलाल पुत्र दौला,
10. रमेश पुत्र रतन सिंह,
11. राजो पुत्री रामचरण,
12. प्रेम पुत्री रामचरण,
13. विदिया पत्नी देवचंद,
14. हल्कै भैया पुत्री रामरत,
15. भूरा पुत्र परीक्षत,
16. तिलुआ पुत्र परीक्षत,
17. रामकली पत्नी रघुवर,
18. इंदर पत्नी चंदन,
19. प्रहलाद पुत्र रामरतन,
20. कलावती पत्नी चिरोंजीलाल,
21. अवध कुमार पुत्री हरदास,
22. जयराम पुत्र रतन सिंह,
23. बालकृष्ण पुत्र आनंदी,
24. भवानी सिंह पुत्र बलवीर सिंह,
25. भूता पुत्री मधु, समस्त निवीगण— ग्राम पिपराटंगा तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

--तरतीवी/अनावेदकगण

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल सदस्य एस.एस अली द्वारा प्रकरण अपील क्रमांक 713–तीन/2008 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2018 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, सीलिंग में अतिशेष घोषित भूमि को म.प्र. कृषि खातो की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960 की धारा 37 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी/समक्षम प्राधिकारी, पिछोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/89–90/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 27/07/1990 द्वारा को ग्राम खिसलोनी में स्थित भूमि क्रमशः आवेदकगण को सर्वे क्रमांक 590 मिन रकबा 0.860 हे. एवं 593 रकबा 0.30 हे. में से ½ भाग 1/2, सर्वे क्रमांक 574/1 में मिन रकबा 0.760 हे., 574/2 मिन रकबा 0.200 हे. एवं 885 मिन रकबा 0.850 हे. कुल रकबा 1.810 हे. में से ½ भाग 1/2, इसी प्रकार आवेदक क्रमांक 4 एवं 7 सर्वे क्रमांक 595 मिन रकबा 0.160 हे. सर्वे क्रमांक 637 मिन रकबा 0.890 हे. कुल रकबा 1.050 हे. में से ½ भाग 1/2, इसी प्रकार सुमित्रा पुत्री खुमान को सर्वे क्रमांक 589 मिन रकबा 1.360 हे. एवं चंदन पुत्र भगुंत सिंह को सर्वे क्रमांक 170/2 रकबा 0.841 हे. एवं सर्वे क्रमांक 171/2 रकबा 0.261 हे. कुल रकबा 1.102 हे. में से ½ भाग 1/2 का आबंटन कर पट्टा प्रदान किया गया था।

2. यहकि, सन् 1990 में आवेदकगण को भूमि प्राप्त होने पर उनके द्वारा भूमि में अत्यधिक श्रम एवं व्यय कर उसे उपजाऊ बनाकर निरंतर भूमि स्वामी के रूप में आधिपत्यधारी चले आ रहे है वर्तमान में भी आवेदकगण का ही आधिपत्य है।

3. यहकि, इस आदेश के विरुद्ध तरतीवी अनावेदक क्रमांक 7 नथन सिंह द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रथम अपील की गयी। कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/90–91/अपील में पारित आदेश दिनांक 21/04/1993 द्वारा अपील मान्य कर अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश दिनांक 21/04/1993 अपास्त किया गया। यद्यपि कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/04/1993 के पैरा 4 में स्थल निरीक्षण के विषय में रमेश यादव के पिता के पास 6.259 हे. भूमि होना एवं अन्य आंबटियो को पात्रता न होने के आधार पर आदेश अपास्त किया गया था, किन्तु कलेक्टर महोदय के आदेश में आवेदकगण को अपात्र नहीं पाया गया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु/5736/शिवपुरी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
15 –01–19	आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक को भेजे गये नोटिस इस टीप के साथ वापिस प्राप्त हुये है कि वह ग्राम में नहीं रहते हैं। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 713–तीन/08 में पारित आदेश दिनांक 20.8.18 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण कमांक **रिव्यु/5736/शिवपुरी/भूरा** के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 713–तीन/08 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 20.8.18 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण में **प्रकरण कमांक रिव्यु/ रिव्यु/5736/शिवपुरी/भूरा** म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु	

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संक्य हेतु भेजा जावे।

सदस्य